



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से 2.5 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन ईगल” के क्रम में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 08/09.10.2026 की देर रात्रि थाना बिसण्डा पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के अभियुक्त दीपक पुत्र सुखराम निवासी बालाजीनगर कस्बा कमासिन थाना कमासिन जनपद बांदा को ग्राम पिस्टा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास से अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है । तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 02 किलो 500 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ है । पुलिस द्वारा बरामद अवैध सूखे गांजे को कब्जे में लेकर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

➤ 02 किलो 500 ग्राम अवैध सूखा गांजा ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक पुत्र सुखराम निवासी बालाजीनगर कस्बा कमासिन थाना कमासिन जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 449/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 गौरव कुमार मिश्रा थाना बिसण्डा
2. कां0 जितेन्द्र सिंह
3. कां0 संगम यादव
4. कां0 आलोक आचार्य